न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 33/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– दीन मोहम्मद पुत्र जीवण खां 2– अब्दुल गनी पुत्र मेहनुद खां 3– नसीरा पुत्र हकीम खां 4– निहाल खां पुत्र हकीम खां सभी जातियान मुसलमान निवासी ग्राम हाजीपुरा (ननेऊ) तहसील बाप जिला जोधपुर		1– मोहम्मद सरीफ पुत्र इसे खां 2– फतेह खां पुत्र गुलाब खां 3– अब्दुल शकूर पुत्र हाजी मूसे खां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा (ननेऊ) तहसील बाप जिला जोधपुर 4– ग्राम पंचायत ननेऊ जरिये सरपचं तहसील बाप जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30–1–2018 जो प्रकरण संख्या 4/2017 अनवान दीन मोहम्मद वगैरा बनाम मोहम्मद शरीफ वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री किशनाराम विश्नोइ अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रोशन लाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से कोई उपस्थित नही ।

निर्णय

दिनांक 25–10–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ननेऊ तहसील फलोदी के खेत खसरा नंबर 194 रकबा 725.16 बीघा भूमि मे से 2/3 हिस्सा भूमि अपीलांटगण के पक्ष मे तथा 1/3 हिस्से की भूमि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पक्ष मे आर.टी.एक्ट की धारा 15 के तहत खातेदारी का म्युटेशन संख्या 32 तहसीलदार फलोदी द्वारा स्वीकृत किया गया तदनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज चलता रहा परंतु तहसीलदार फलोदी के पारिवारिक बंटवाडा आदेश दिनांक 14–12–74 का उल्लेख करते हुए म्युटेशन संख्या 222 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15–12–74 को भरा गया जिस पर निरीक्षक भूअभिलेख की जांच दिनांक 16–12–74 को की गई जिसे ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20–12–74 को स्वीकृत कर दिया जिसमे अपीलांट का हिस्सा बदल कर कम कर दिया । उक्त म्युटेशन संख्या 222 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मयाद के बिन्दु पर ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–1–2018 के द्वारा खारीज कर दिया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्युटेशन संख्या 222 के विरूद्ध अपील पेश की गई थी तथा उक्त म्युटेशन के कॉलम संख्या 14 मे पारिवारिक बंटवाडे का उल्लेख किया हुआ है जबकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया था कि दिनांक 14–12–74 का कोई आदेश है ही नही । वकील अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार फलोदी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर उक्त प्रार्थना पत्र के पीछे ही तहसीलदार फलोदी ने खसरा नंबर 194 बाबत कोई बंटवाडा उपलब्ध नही होने का अंकन करते हुए प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया था । वकील अपीलांट ने कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 222 मे जिस बंटवाडा का हवाला दिया गया था, वह बंटवाडा वास्तव मे कभी हुआ ही नही था इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 222 निरस्त योग्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार किये बिना तथा गुणावगुण पर विचार किये बिना अपीलांट की अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील पेश की जाने पर प्रथम आदेशिका दिनांक 10–4–2017 को अपील दर्ज कर नोटिसेज जारी करने के आदेश पारित किये गये, दिनांक 27–9–17 तक पत्रावली तामिल मे चलती रही तथा दिनांक 12–10–17 को तामिल डाक द्वारा मानकर जवाब अपील हेतु दिनांक 3–11–17 को रखी गई जो दिनांक 19–1–18 तक चलती रही । दिनांक 19–1–18 को रेस्पो0 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी.का पेश हुआ तथा धारा 5 मयाद अधिनियम का जवाब भी पेश हुआ जिसके जवाब एवं बहसम मे पत्रावली रखी हुई थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी मे विधिक प्रावधानो की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा मूल म्युटेशन संख्या 32 प्रस्तुत किया गया जिसमे अपीलांट एवं रेस्पो0 का हिस्सा अलग अलग दर्ज है तथा इसी म्युटेशन की पुश्त पर स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि "खसरा नंबर 194 रकबा 725.16 बीघा सरहद मौजा ननेऊ पर गफूर खां पुत्र महमदखां, वसीरा पुत्र इमाम, निहाल पुत्र हकीम,दीन मोहम्मद पुत्र जीवणा 2/3 हिस्सा , फतेह मोहम्मद पुत्र गुलाब खां, अब्दुल शकूर पुत्र मूसे खां1/3 हिस्सा पर संवत 2012 से कब्जा व काश्त कर रहे है । लिहाजा इसको खातेदारी हक आर.टी.एक्ट की धारा 15 के तहत हासिल हो चुके है सो फीस वसूल कर नवीन्यु रेकर्ड मे अमल दरामद कर लेवें।" का आदेश पारित हो चुका था तो

तथाकथित बंटवाडे की आवश्यकता ही नही थी परंतु म्युटेशन संख्या 222 मे बंटवाडे का उल्लेख करते हुए मेरी खातेदारी विधिविरूद्ध तरीके से कम कर दी । जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये बिना जल्दबाजी मे निर्णय पारित कर मेरी अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे म्युटेशन संख्या 222 की अपील तथा साथ ही दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवाडे का पेश किया था तथा उसी दावे मे म्युटेशन संख्या 222 को निरस्त करने की इस्तदुआ की थी ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि जहां रेगुलर सूट प्रस्तुत कर दिया जाता है तो नामांतरकरण अपील अधिकारो के तय करने हेतु नही चल सकती है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 5 मयाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया है तथा पारिवारिक बंटवाडा जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 222 स्वीकृत हुआ है, जिनके पक्ष मे स्वीकृत हुआ है एवं अपील पेश की है, उन्ही के द्वारा ही भूमि का हमे समय–समय पर बेचान किया है, जिनके बेचाननामो मे हिस्सा दर्ज किया है तथा कथन किया कि वर्ष 1974 मे स्वीकृत नामांतरकरण की जानकारी वर्ष 2013 मे होना बताया है, जो झूंठा तथ्य पेश किया है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार फलोदी के समक्ष बंटवाडा आदेश की प्रति चाही गई थी उक्त प्रार्थना पत्र मे बंटवाडा आदेश के क्रम संख्या का उल्लेख नही होने से तहसीलदार फलोदी ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारीज किया था । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 मयाद अधिनियम एवं 151 सी.पी.सी. तथा अपील मे आये तथ्यो पर बहस सुनते हुए अपील का निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण का दावा भी आदेश 7 नियम 11 मे खारीज हो चुका है जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी न्यायायल जोधपुर मे चल रही है इसलिए अपीलाधीन भूमि बाबत अधिकारो का विनिश्यचन उक्त दावे एवं अपील से होना है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रिबेटल बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय

ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र निर्णित ही नही किया, और अपीलांट की अपील को खारीज कर दिया । अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मूल म्युटेशन को भी तलब किये बिना निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त किया जाये ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का भी अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने ग्राम ननेऊ के म्युटेशन संख्या 222 जो पारिवारिक बंटवाडा आदेश तहसीलदार फलोदी की पालना मे वर्ष 1974 मे सरपंच ग्राम पंचायत ननेऊ द्वारा स्वीकृत किया गया था, के विरूद्ध वर्ष 2017 मे लगभग 43 वर्ष बाद पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–1–2018 के द्वारा अपील को सारहीन मानते हुए मयाद के बिन्दु पर खारीज करने बाबत विस्तृत निर्णय पारित किया है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो एवं अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित तथ्यो से यह प्रकट है कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 222 जो कि पारिवारिक बंटवाडा की पालना मे स्वीकृत हुआ था तथा उसके बाद उक्त म्युटेशन स्वीकृत होने के बाद उक्त बंटवाडा अनुसार खातेदारान के अपने खातेदारी की भूमि का अलग–अलग व्यक्तियो को बेचान कर दिये जाने से खसरा नंबर 194 करीब 35 भागो मे विभक्त हो चुका है तथा बेचान के आधार पर करीब 35 म्युटेशन भी स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड मे अलग अलग खातेदार दर्ज हो चुके है तथा राजस्व नक्शे मे भी उक्त खसरान 194 एवं 194/35 की तरमीम भी अलग अलग दर्शाई हुई है ।

राजस्व रेकर्ड मे इतने हुए बदलाव के बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण ने लगभग 43 वर्ष बाद म्युटेशन अपील पेश की तथा इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय मे खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवाडे का दावा पेश किया था तथा उसी दावे मे म्युटेशन संख्या 222 को निरस्त करने की इस्तदुआ की थी, जो दावा आदेश 7 नियम 11 मे खारीज हो चुका है जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी न्यायायल जोधपुर मे चल रही है, जिसमे अपीलांटगण अपना समुचित पक्ष प्रस्तुत कर सकता है तथा उक्त अपील मे पारित निर्णय से ही अपीलांटगण के हक अधिकारो का विनिश्चयन होना संभव है, म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये अधिकारो का निर्धारण संभव नही है । उक्त परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–1–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25–10–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

25/10/18

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर